माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प उज्जैन, म.प्र.

निगरानी क्रमांक निग/3534/III-15 /2015-16

1 श्यामुबाई पिता बापूसिंहजी आयु 66 वर्ष जाति आंजना, निवासी-ग्राम चिकली, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन

2. मनोज यादव पिता मूलचंदजी यादव, आयु 27 वर्ष, जाति-अहिर, निवासी-5/2, निकास चौराहा, उज्जैन ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

श्रीमती अनिता पति रघुवीर, जाति आंजना, निवासी-ग्राम चिकली, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन ....प्रतिप्रार्थी

प्रार्थी अभिभाषक श्री सुनित सक्सेना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13/10/15 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

विषय :- धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बडनगर, जिला उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/2013-2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 03/09/2015 के विरूद्ध निगरानी।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी अवधि में प्रस्तुत है :-

भूमिका

01 यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट ने आदेश दिनांक 16.01.2014 के विरूद्ध एक अपील दिनांक 29.05.2014 को प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थी 2 मनोज के नामान्तरण को चुनौती दी गई हैं। यह अपील अवधि बाह्य थी और अधीनस्थ योग्य न्यायालय के समक्ष अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और अपील में जो विलंब हुआ हैं, उसे क्षमा करने की प्रार्थना की गई थी। अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय रूप से निगरानीग्रस्त आदेश के द्वारा विलंब क्षमा कर अपील ग्राह्य कर ली है, जिससे दुःखी होकर निम्न आधारों पर प्रार्थी यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(98)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3534-तीन/15 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सक्सैना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	